

14.11.22

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 21.11.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

21.11.22

पत्रावली पेश हुई।
श्रीमान पीठासीन अधिकारी उपस्थित।
विप्राची सजा 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा मूल वाद में जली गई। विप्राची सजा 1 के अधिवक्ता द्वारा आवेदन का जवाब मज काउन्टर जेठ पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वाले विप्राची सजा 2 व 3 के वकालतनामा व शेष की तलबी हट दिनांक 14.12.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

14.12.22

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 30.12.22 को पेश हो।

19.12.22

पत्रावली त्वरीत सुनवाई का आर्जन पत्र पेश करने पर तलब की जाकर पेश हुई।
जार्जिनी व विप्राची सजा 1 से 3 स्वप्न उपस्थित।
उत्तमपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।
यूनिट इतम आवेदन का मूल वाद उत्तमपक्ष के प्रश्न सजीतमान होने एवं आगे नहीं चलने के कारण जरिअे विद्रो खारिज किया जा चुका है तथा उत्तमपक्ष पक्षकार एवं उनके अधिवक्ता द्वारा इतम आवेदन को भी जरिअे विद्रो

शिव (बाड़मेर)
कलक्टर
इ.मानसराज
शिव (बाड़मेर)
शिव (बाड़मेर)
शिव (बाड़मेर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

खारिज करने का निवेदन किया जाता है।

अतः उक्त पत्रावली के मूल कार के
खारिज होने से उक्त आवेदन का
कोई अर्थ नही रहे तथा उक्त पत्र
झापा उक्त पत्रावली जलिये विद्वा खारिज
करने के निवेदन पर उक्त आवेदन
इसी त्तर पर जलिये विद्वा खारिज
किया जाता है। साथ ही पूर्व में
जारी अर्जीप अर्थात् निवेदाना को
समाप्त किया जाता है।

पत्रावली फेसल रुपाट होकर दाखिल
दफ्तर है।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)